NIIT

NIIT LIMITED

Regd. Office: 8, Balaji Estate, First Floor,
Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 110019
Phone No.: +91-11- 41675000, Fax No.: +91-11-41407120
CIN: L74899DL1981PLC015865
Website: www.niit.com; Email: investors@niit.com

NOTICE

Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This notice is published pursuant to the applicable provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) effective from September 7, 2016 and subsequent amendment thereof vide notification dated February 28, 2017("the Rules").

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of unpaid or unclaimed dividend to IEPF and transfer of shares, in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more (shares) to the demat account of IEPF Authority.

Accordingly, the Company has sent letters individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority, at their latest address registered with the Company.

The Company has also uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to the demat account of the IEPF Authority on its website at http://www.niit.com/india/training/investors/Pages/investor-information.aspx.

In case, the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by May 31, 2017 or such other date as may be extended, the Company will proceed to transfer the shares to the demat account of the IEPF Authority without any further notice, as per procedure stipulated in the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the demat account of IEPF Authority. Please also note that on issue of such duplicate share certificate(s), the original share certificate(s) which stand registered in their name will be deemed cancelled and non-negotiable. In case, shares are held by concerned shareholders in demat form and are liable to be transferred to IEPF, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of such shares to the demat account of IEPF Authority.

The concerned shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the demat account of IEPF Authority, pursuant to the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to IEPF.

The concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said share(s) along with the dividend(s) from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Investors Service Department of the Company at 8, Balaji Estate, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 1100019, Tel no.: 011-41675000; Email: investors@niit.com

For NIIT Limited
Sd/-
Deepak Bansal
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: April 13, 2017

NIIT

एनआईआईटी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली–110019
फोन नं.: +91-11- 41675000, फैक्स नं.: +91-11-41407120
CIN: L74899DL1981PLC015865
वेबसाइटः www.niit.com; ईमेलः investors@niit.com

सूचना

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित 7 सितम्बर, 2016 से प्रभावी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के लागू प्रावधानों और अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2017 ("नियम") के माध्यम से इसमें किए गए अनुवर्ती संशोधन के अनुसरण में प्रकाशित की गई है।

नियमों, अन्य मामलों के अधीन प्रावधानों में अदत्त या अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ को अंतरित करने तथा निरंतर सात वर्षों या अधिक से लाभांश का भुगतान न किए गए (शेयरों) या अदावाकृत शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरण शामिल है।

तदनुसार, कम्पनी ने उन संबंधित शेयरधारकों को कम्पनी में दर्ज उनके नवीतम पते पर व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजे हैं जिनके शेयर आईईपीएफ के डिमेट खाते में अंतरित किए जाने के पात्र हैं। कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ के डिमेट खाते में अंतरित किए जाने हेतु पात्र शेयरों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट http://www.niit.com/india/training/investors/Pages/investor-information.aspx पर भी अपलोड किया है।

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से 31 मई, 2017 तक या ऐसी कोई बढ़ाई गई अवधि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बिना कोई सूचना दिए ऐसे शेयरों को आईईपीएफ के डिमेट खाते में अंतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर आईईपीएफ डिमेट खाते में स्थानांतरित किए जाने हैं, इस बात पर ध्यान दें कि कम्पनी आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी करेगी। कृपया इस बात को नोट करें कि डुप्लीकेट शेयर जारी होने पर मूल शेयर प्रमाणपत्र जो आपके नाम पर पंजीकृत है, स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और यह गैर–विनिमेय माना जाएगा। जहां शेयरधारकों द्वारा शेयर डिमेट प्रारूप में धारित हैं और आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के पात्र हैं, उनके बारे में कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में ऐसे शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट प्रक्रिया के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

संबंधित शेयरधारक इस बात को भी नोट करें कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया विवरण मान्य होगा और कम्पनी द्वारा नियमों के अनुसार आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना मानी जाएगी। कृपया नोट करें कि अदावाकृत लाभांश राशि और आईईपीएफ को अंतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संबंधित शेयरधारक यह नोट करें कि ऐसे स्थानांतरण के बाद वह नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास लाभांश सहित कथित शेयर(रों) के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं।

यदि इस संबंध में शेयरधारक कोई पूछताछ करना चाहते हैं तो वह कम्पनी के निवेशक सेवा विभाग, 8, बालाजी एस्टेट, गुरु रविदास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली–110019, फोन नं. 011-41675000, ई–मेल: investors@niit.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते एनआईआईटी लिमिटेड
हस्ता./–
दीपक बंसल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13 अप्रैल, 2017